Vardhman Mahaveer Open University, Kota

M.Sc.Botany/Chemistry/Physics/Zoology : Admission Guidelines
M.Sc. (Botany/Chemistry/Physics/Zoology) : प्रवेश सम्बन्धी नियम

1.प्रवेशयोग्यता :-

S.No.	Program name	Eligibility Degree/Exam
(i)	M.Sc. Botany	Passed B.Sc. with Botany as a major subject in graduation degree/B.Sc. (Hons.) in Botany/ Passed equivalent Bachelor's degree in Science with Botany as a major subject in graduation degree.
(ii)	M.Sc. Chemistry	Passed B.Sc. with Chemistry as a major subject in graduation degree/ B.Sc. (Hons.) in Chemistry / Passed equivalent Bachelor's degree in Science with Chemistry as a major subject in graduation degree.
(iii)	M.Sc. Physics	Passed B.Sc. with Physics as a major subject in graduation degree/ B.Sc. (Hons.) in Physics / Passed equivalent Bachelor's degree in Sciencewith Physics as a major subject in graduation degree
(iv)	M.Sc. Zoology	Passed B.Sc. with Zoology as a major subject in graduation degree/ B.Sc. (Hons.) in Zoology / Passed equivalent Bachelor's degree in Science with Zoology as a major subject in graduation degree

नोट: इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए Bachelor of Technology/Engineering या Bachelor of Pharmacy/B.Sc. Agriculture/ B.Sc. Nursing/ BVSc & AH/ BAMS/ BUMS/ BPT/ BDS/ BHMS की डिग्री Bachelor's degree **in Science** के तुल्य नहीं मानी जायेगी।

2. एम.एससी. में प्रवेश के लिए न्यूनतम त्रिवर्षीय स्नातक, विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थान से अर्जित की गई होनी चाहिए।

3. UGC के द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश व UGC ODL Regulations एवं समय समय पर उनमे होने वाले संशोधनो के अधीन M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology में प्रवेश सत्र जनवरी 2026 मे प्रवेश दिया जायेगा।

4. प्रवेश आवेदन शुल्क 500 रूपये है व प्रवेश आवेदन शुल्क अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति पुनः नहीं लौटाया जायेगा।

5. M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology कार्यक्रमों में प्रवेश वर्ष में एक बार प्रवेश सत्र जनवरी मे ही प्रवेश होगा तथा जनवरी 2026 मे प्रवेशित विद्यार्थियो का प्रमोटी प्रवेश (अर्थात M.Sc. Final में प्रवेश) भी वर्ष में केवल जनवरी प्रवेश सत्र में ही होगा।

6. वरीयता का निर्धारण प्रवेशयोग्यता के लिए निर्धारित स्नातक उपाधि प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा व स्नातक उपाधि प्राप्तांक प्रतिशत में समान प्रतिशत होने पर वरीयता निम्नानुसार होगी-

(i) अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर (अधिक वरीयता) होगी व आयु का निर्धारण दसवी (माध्यमिक परीक्षा) की अंकतालिका/सर्टिफिकेट के आधार पर होगा,

(ii) यदि आयु भी समान है तो कक्षा बारहवी (या उच्च माध्यमिक समकक्ष) के अधिक अंक (प्रतिशततामें) वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा,

(iii) यदि कक्षा बारहवी के अंक भी समान है तो कक्षा दसवी (या माध्यमिक परीक्षा समकक्ष) के अधिक अंक (प्रतिशतता में) वाले अभ्यर्थी का क्रम ऊपर होगा।

Note:(a) VMOU के Preparatory कार्यक्रम (BAP/BSCP/BCP) के छात्रों की Preparatory कार्यक्रम अंकतालिका के आधार पर भी आयु का निर्धारण माना जाएगा ।

(b) CGPA के प्रतिशत तुल्यता रूपांतरण का विद्यार्थी को स्वयं प्रमाण उपलब्ध करवाना होगा जिससे की उसके स्नातक प्रतिशत का निर्धारणहो सके।

7. UGC ODL Regulations एवं उसके amendments के अनुरूप उक्त विषयों के अध्ययन केन्द्रों परप्रति कार्यक्रम (M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology) प्रति अध्ययन केन्द्र 25 विधार्थी सीट आवंटन के अनुरूप प्रवेश दिया जायेगा।

8. अभ्यर्थी द्वारा इन कार्यक्रमों में (M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology) में से **किसी एक कार्यक्रम के लिए ही** आवेदन किया जाएगा । इन कार्यक्रमों मे एक से अधिक आवेदन करने पर विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन रद्द किए जाने की स्थिति मे अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. दिए गए निर्दिष्ट समय के भीतर दी गई अंकतालिका एवं अन्य प्रमाण पत्र के आधार पर वरीयता का निर्धारण होगा एवं बाद में दिया गया प्रमाण पत्र अस्वीकार्य करने की स्थिति में अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10. आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं करता है ।

11. आवेदन पत्र केवल ONLINE mode/ विधा से विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकार किया जाएगा ।

12. प्रवेश वरीयता तथा सीट की उपलब्धतता के आधार पर कार्यक्रम में प्रवेश दिया जायेगा ।

13. प्रति कार्यक्रम उपलब्ध अध्ययन केन्द्रों के आधार पर अभ्यर्थी से अध्ययनकेन्द्रों के सम्बन्ध में उसकी choice चयन प्राथमिकता ली जायेगी ।

14. प्रवेश के समय अभ्यर्थी को अध्ययन केन्द्र आवंटन का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा ।

15. अभ्यर्थी का अध्ययन केंद्र आवंटन सूची मे नाम आने पर व विश्वविद्यालय द्वारा निर्दिष्ट करने पर तय समय पर कार्यक्रम शुल्क जमा करना होगा, अन्यथा उसका आवंटन रद्द माना जाएगा व अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

16. प्रवेश के दौरान अथवा उसके उपरान्त अभ्यर्थी के द्वारा दी गई जानकारी एवं दस्तावेज कूटरचित पाए जाने पर प्रवेशनिरस्त करने एवं विधिसम्मत कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा एवं विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

17. समय समय पर विश्वविद्यालय द्वारा कार्यक्रम एवं प्रवेश के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय विद्यार्थी को मान्य होंगे।

18. विश्वविद्यालय को समय समय पर डिफाल्टर परीक्षा शुल्क/प्रायोगिक शुल्क इत्यादि में संशोधन करने का अधिकार होगा ।

19. विश्वविद्यालय में इन कार्यक्रम में प्रवेश के उपरान्त विद्यार्थी द्वारा अध्ययन केन्द्र/ प्रायोगिक केन्द्र के परिवर्तन के लिए दिए गए प्रार्थना पत्र पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार नहीं किया जायेगा ।

20. यह विश्वविद्यालयके पास सर्वाधिकार सुरक्षित है कि किसी अध्ययन केन्द्र/ प्रायोगिक केन्द्र पर विद्यार्थियों की कम संख्या अथवा किसी अन्य कारण से उसके आवंटित जगह पर प्रायोगिक नहीं होने पर विद्यार्थी को अन्य प्रायोगिक केन्द्र पर प्रायोगिक कार्य इत्यादि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्देशित किया जा सकता है । विद्यार्थी प्रवेश से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर ले कि इस प्रकार का निर्णय उसे मान्य होगा व उस सम्बन्ध में उसका किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

एम.एससी. पूर्वार्ध का प्रायोगिक सम्पर्क शिविर 80 काउंसलिंग दिवस (3 घंटे प्रतिदिन) का आयोजित किया जाएगा । एम.एससी. पूर्वार्ध की प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाओं में न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक है ।

एम.एससी. उत्तरार्ध का प्रायोगिक सम्पर्क शिविर 80 काउंसलिंग दिवस (3 घंटे प्रतिदिन) का आयोजित किया जाएगा । एम.एससी. उत्तरार्ध की प्रायोगिक परीक्षा में उपस्थित होने के लिए प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाओं में न्यूनतम 75% उपस्थिति आवश्यक है ।

प्रायोगिक डिफाल्टर परीक्षा केवल सत्रांत दिसंबर परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय सूचना अनुसार होगी।

विश्वविद्यालय समय समय पर प्रायोगिक सम्बन्धित नियम व समयसारणी परिवर्तन करने का अधिकार रखता है ।

21. प्रवेश सम्बन्धी अद्यतित(updated)जानकारी/सूचना के लिए विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाईट को समय समय पर **नियमित रूप** से अवश्य देखे । विश्वविद्यालय वेबसाईट पर M.Sc. Admission लिंक भी देख सकता है।

22. आवेदन की अंतिम तिथि, वरीयता सूची का प्रकाशन, counselling, प्रतिक्षा सूची, कार्यक्रम शुल्क जमा आदि की जानकारी हेतू **अभ्यर्थी आवश्यक रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाईट को देखते रहे** व **इस हेतु अधिक समय नहीं दिया जायेगा ।** पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी ।

23. M.Sc. Botany/ Chemistry/ Physics/ Zoology में प्रवेश सत्र जनवरी 2026 मे प्रवेश हेतु विषयानुसार वरीयता सूची के आधार पर राज्य सरकार के आरक्षण नियमों के अनुसार इन कार्यक्रमों के प्रवेश सत्र जनवरी 2026 के लिए तय किये गए आरक्षण नियमों के आधार पर होगा ।

24. आरक्षण का लाभ लेने हेतु वांछित प्रमाण पत्र तथा राज्य सरकार के नियमानुसार उनके वैधता संबंधी नियम प्रभावी होंगे।

25. अभ्यर्थी को आवदेन में वांछित समस्त जानकरी पूर्ण रूप से देनी होगी व आवदेन पूर्ण रूप से ही ऑनलाइन भरना होगा । प्रवेश काउंसलिंग व M.Sc. कार्यक्रम फीस जमा सम्बन्धी सूचनाए विश्वविद्यालय वेबसाईट पर समय समय पर उपलब्ध करवाई जायेगी ।

26. अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसलिंग में व्यक्तिश: उपस्थिति हेतु निर्देशित किये जाने की स्थिति में निर्दिष्ट समय में विश्वविद्यालय मुख्यालय कोटा/निर्दिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र पर उपस्थिति देनी होगी व मूल दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्देशित किये जाने की स्थिति में निर्दिष्ट समय में विश्वविद्यालय मुख्यालय कोटा/ निर्दिष्ट क्षेत्रीय केन्द्र पर उपस्थिति देनी होगी ।

27. अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय dual degree के संदर्भ में कार्यालय आदेश क्रमांक "व.म.खु.वि./स.यो वि/अमा /2023/1604-08 दिनाँक 05.09.2023" आवश्यक रूप से देख लेना चाहिए । यहाँ कार्यालय आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

28. प्रवेश के समय व उसके उपरान्त विश्वविद्यालयद्वारा समय समय पर निर्देशित किये जाने की स्थिति में Academic Credit Bank (ID) सम्बन्धित दिशा निर्देश की पालना करनी होगी ।

29. विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थी की Academic Bank of Credits (ABC ID) होनी चाहिए । भारत सरकार की अधिकृत वेबसाईट https://www.digilocker.gov.in/ पर ABC ID विद्यार्थी के Digilocker account के द्वारा बनायीं जा सकती है । अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट https://www.abc.gov.in देखे ।

30. विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए विद्यार्थी द्वारा भारत सरकार की अधिकृत वेबसाईट https://deb.ugc.ac.in/StudentDEBId पर DEB-ID बनायी जानी चाहिए । DEB-ID बनाने के लिए ABC ID बनी होनी चाहिए । अधिक जानकारी के लिए वेबसाईट https://deb.ugc.ac.in/StudentDEBId देखे । UGC दिशा निर्देशानुसारOpen and distance Learning/online program में विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए DEB-ID अनिवार्य है । इसके अभाव में विश्वविद्यालय में इन कार्यक्रमों में प्रवेश संभव नहीं है । UGC दिशा निर्देशानुसार की अनुपालना में विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए DEB ID के आधार पर विद्यार्थी का नाम, जन्मतिथि, लिंग, ईमेल, मोबाइल नंबर एवं ABC ID विवरण UGC DEB Portal के अनुरूप दर्ज होता है ।

31. कृपया प्रवेश फॉर्म भरने हेतु अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करे एवं अंतिम तिथि से पूर्व ही प्रवेश आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर ले ।यदि किसी तकनीकी कारणों से अंतिम तिथि पर आप प्रवेश फॉर्म नहीं भर पाते है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी एवं प्रवेश हेतु आप का किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

32. प्रवेश होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा 12 अकों (XXXXXX-XXXXXX) का स्कोलर नंबर जारी किया जायेगा ।जिसकी सूचना SMS द्वारा भेजी जाएगी। SMS द्वारा स्कोलर न. प्राप्त होने के बाद सम्बन्धित अन्य जानकारी वेबसाइट www.vmou.ac.in पर उपलब्ध स्टूडेंट वन व्यू (Student One View) से भी प्राप्त कर सकते हैं।

33. उक्त प्रावधानों/प्रवेश नीति के सन्दर्भ में अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय उचित कार्यवाही कर निर्णय /निस्तारण करेगा।

34. कार्यक्रम में प्रवेश के सम्बन्ध में किसी भी विवाद अथवा दावे की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र स्थानीय कोटा न्यायालय होगा।

<u>प्रवेश सत्र जनवरी 2026के लिए Online form भरने सम्बन्धी निर्देश</u>

1. आवश्यक मूल दस्तावेज की प्रति कों स्वप्रमाणित कर स्केन कर अपलोड करे ।**स्केन स्पष्ट दृश्य योग्य पठनीय होना चाहिए।**

2. **फोटो:**स्वयं का फोटो साफ़ सुथरा एवं स्पष्ट हो जिसमे दोनों कंधे और कान दिखाई देते हों। अभ्यर्थीद्वारा M.Sc.प्रवेश आवेदन पत्र में स्वयं की अपलोड की जाने वाली रंगीन फोटो6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

   हस्ताक्षर: सफ़ेद कागज पर काले रंग के पेन से हस्ताक्षर कर स्कैन करें।

   अपलोड किये गए फोटो एवं हस्ताक्षर, परीक्षा भवन में लिखित परीक्षा के दौरान मेल नहीं खाने पर परीक्षा से वंचित कर नियमानुसानुर कार्यवाही की जायेगी।

3. यदि एक ही लिंक पर यदि कोई दस्तावेज अपलोड करना है व उस दस्तावेज के एक से अधिक पृष्ठ है तो उनको संयुक्त कर सिंगल pdf फाइल कर अपलोड करे।

4. **मूल अंकतालिकाओ की प्रतियों को स्वप्रमाणित कर स्केन कर अपलोड करे। स्नातक अंतिम वर्ष/ संयुक्त अंकतालिका के दोनों तरफ अर्थात सम्मुख (front side) व पीछे(back side) का भी स्केन आवश्यक है।**

5. इन्टरनेट अंकतालिका मान्य नहीं होगी। यदि अभ्यर्थी ने जिस विश्वविद्यालय स्नातक उत्तीर्ण किया है तो उस विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग के ही सक्षम अधिकारी यथा अनुभाग अधिकारी, सहायक कुलसचिव या या उच्च सक्षम अधिकारी से इन्टरनेट अंकतालिका Verified कराई गई हो (अधिकारी के दिनाँक सहित हस्ताक्षर व विभागीय पदनाम युक्त मोहर लगी हो) तो वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा प्रोविजनल प्रवेश पर विचार किया जा सकता है इसमें विश्वविद्यालय का ही निर्णय मान्य होगा व मूल दस्तावेज (अंकतालिका/उपाधि आदि) सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को निर्देशित किये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालयमुख्यालय कोटा/ निर्दिष्ट क्षेत्रीय केन्द्रपर निर्दिष्ट समय में उपस्थिति देनी होगी। इस तरह का यदि कोई निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाता है तो वह विश्वविद्यालय वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है।

6. आवेदन करते समय अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए ।यदि अभ्यर्थी आवेदन करते समय स्नातक अंतिम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थी है परन्तु स्नातक उत्तीर्ण नहीं है तो ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। **अभ्यर्थी स्नातक उत्तीर्ण होने के बाद ही आवेदन करे।**

7. (i) यदि विद्यार्थी ने त्रिवर्षीय स्नातक किया है तो तीनो वर्षो के कुल प्राप्तांकों को लेना चाहिए जिससे उसकी स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशतता निर्धारित होती है (जिन पेपरों का योगदान स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशत निर्धारण करने के लिए नहीं होता है उनको कुल प्राप्तांकों में नहीं लेना चाहिए।)

(ii) यदि विद्यार्थी ने चार वर्षीय स्नातक किया है तो चारो वर्षों के कुल प्राप्तांकों को लेना चाहिए जिससे उसकी स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशतता निर्धारित होती है (जिन पेपरों का योगदान स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशत निर्धारण करने के लिए नहीं होता है उनको कुल प्राप्तांकों में नहीं लेना चाहिए।)

(iii) यदि विद्यार्थी ने चार वर्षीय B.Sc.–B.Ed.कार्यक्रम किया है तो **चारो** वर्षों के कुल प्राप्तांकों को लेना चाहिए जिससे उसकी स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशतता निर्धारित होती है (जिन पेपरों का योगदान स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशत निर्धारण करने के लिए नहीं होता है उनको कुल प्राप्तांकों में नहीं लेना चाहिए ।)

(iv) यदि विद्यार्थी ने पञ्चवर्षीय संयुक्त स्नातक-स्नाक्तोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश लिया हो व बीच में स्नातक डिग्री के साथ EXIT का विकल्प हो तो व विद्यार्थी उन वर्षों के कुल प्राप्तांकों को लेना चाहिए जिससे उसकी स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशतता निर्धारित होती है (जिन पेपरों का योगदान स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशत निर्धारण करने के लिए नहीं होता है उनको कुल प्राप्तांकों में नहीं लेना चाहिए ।) व विद्यार्थी को EXIT विकल्प प्रमाणपत्र/स्नातक डिग्री/स्नातक प्रोविजनल प्रमाण पत्र को भी अंकतालिका के साथ संयुक्त PDF कर अंकतालिका के अपलोड लिंक पर अपलोड करना है ।

(v) यदि विद्यार्थी ने पञ्चवर्षीय संयुक्त स्नातक-स्नाक्तोत्तर कार्यक्रम किया हो व बीच में स्नातक डिग्री अवार्ड का भी का विकल्प हो तो व विद्यार्थी उन वर्षों के कुल प्राप्तांकों को लेना चाहिए जिससे उसकी स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशतता निर्धारित होती है (जिन पेपरों का योगदान स्नातक डिग्री कार्यक्रम की प्रतिशत निर्धारण करने के लिए नहीं होता है उनको कुल प्राप्तांकों में नहीं लेना चाहिए ।) व विद्यार्थी को स्नातक डिग्री/स्नातक प्रोविजनल प्रमाण पत्र को भी अंकतालिका के साथ संयुक्त PDF कर अंकतालिका के अपलोड लिंक पर अपलोडकरना है ।

(vi) यदि विद्यार्थी ने पञ्चवर्षीय संयुक्त स्नाक्तोत्तर कार्यक्रम में किया हो व बीच में स्नातक डिग्री अवार्ड/स्नातक EXIT का विकल्प नहीं हो तो व विद्यार्थी प्रवेश लेने हेतु योग्य नहीं होगा क्योंकि इस प्रवेश का आधार स्नातक की प्रतिशतता है न कि स्नाक्तोत्तरकी प्रतिशतता ।

(vii) जिन विद्यार्थी के स्नातक अंकतालिका में केवल CGPA है व प्रतिशत नहीं लिखा है तो विद्यार्थी को CGPA के प्रतिशत तुल्यता रूपांतरण प्रमाण पत्र/डोक्युमेंट को भी में अंकतालिका के साथ संयुक्त PDF कर अंकतालिका के अपलोड लिंक पर अपलोड करना है । CGPA के प्रतिशत तुल्यता रूपांतरण गुणांक की सहायता से प्राप्त प्रतिशत मान को बिना round off के दशमलव के बाद चार डिजिट तक व्यक्त करना है ।

8. जाति प्रमाण पत्र (ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी) राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत होने चाहिए । यदि जाति प्रमाण पत्र (ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी) एक वर्ष से ज्यादा पुराना है व प्रार्थी Non Creamy Layer में आता है इस आशय का भरा हुआ शपथ पत्र भी अपलोड करे। यह शपथ पत्र जाति प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात इन M.Sc. कार्यक्रमों में प्रवेश सत्र जनवरी 2026 में प्रवेश के लिए ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. का जाति प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2023 या इसके पश्चात का होना चाहिए। यदि ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. का जाति प्रमाण पत्र 1जनवरी 2025 या इसके पश्चात का है तो जाति प्रमाण पत्रकी स्वप्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड करे । यदि ओ.बी.सी./एस.बी.सी./एम.बी.सी. का जाति प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2023 या इसके पश्चात का है परन्तु 31 दिसम्बर 2024 या इसके पूर्व का है तो जाति प्रमाण पत्रकी स्वप्रमाणित स्केन प्रति व शपथ पत्र की स्केन प्रति कों एक सिंगल pdf फाइल के रूप में अपलोड करे । यहाँ ओ.बी.सी./एस.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी हेतु शपथ पत्र प्रारूप इन्ही Admission Guidelines पर उपलब्ध है । राजस्थान राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा । जाति प्रमाण पत्र (ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी) Non Creamy Layer के अभाव में प्रार्थी को इस आरक्षित श्रेणी में प्रवेश का लाभ नहीं दिया जाएगा। ऐसे (ओ.बी.सी. /एस.बी.सी./एम.बी.सी. श्रेणी) Creamy Layerअभ्यर्थी General Category के अंतर्गत ही आवेदन करे ।

9. आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS का प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत होने चाहिए। EWS का प्रमाण पत्र एक वर्ष से ज्यादा पुराना है तो इस आशय का भरा हुआ शपथ पत्र भी अपलोड करे। यह शपथ पत्र EWS प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात इन M.Sc. कार्यक्रमों में प्रवेश सत्र जनवरी 2026 में प्रवेश के लिए EWS का प्रमाण पत्र 1जनवरी 2023 या इसके पश्चात का होना चाहिए। यदि EWS प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2025 या इसके पश्चात का है तो EWS प्रमाण पत्रकी स्वप्रमाणित प्रति स्केन कर अपलोड करे। यदि EWS प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2023 या इसके पश्चात का है परन्तु 31 दिसम्बर 2024 या इसके पूर्व का है तो EWS प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित स्केन प्रति व शपथ पत्र की स्केन प्रति कों एक सिंगल pdf फाइल के रूप में अपलोड करे।यहाँ EWSश्रेणी हेतु शपथ पत्र प्रारूप इन्ही Admission Guidelinesपर उपलब्ध है।राजस्थान राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र के अभाव में इस आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

10. SC/ST/PWD(PH) श्रेणी के प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अन्तर्गत होने चाहिए। राजस्थान राज्य के मूल निवास प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

11. Govt. of India-Ministry of Defence(Department of Ex-servicemen Welfare) के पत्र क्रमाँक F.No.6(1)/2017/D(Res.II) दिनाँक 21-05-2018 की अनुपालना में Indian Armed forces Personnel (Army, Navy and AF)(जो राजस्थान राज्य के निवासी/राजस्थान राज्य में पदस्थापित है) के wardsके लिए यह DS (DefenseService) आरक्षण लागू होगा:-

Priorities will be as follows:-

Priority i: Widows/Wards of Defence personnel killed in action.

Priority ii: Wards of disabled in action and boarded out from service.

Priority iii: Widows/Wards of Defence personnel who died while in service with death attributable to military service.

Priority iv: Wards of disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

Priority v: Wards of Ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards:

(i). ParamVir Chakra (ii) Ashok Chakra (iii) MahaVir Chakra (iv) Kirti Chakra (v) Vir Chakra (vi) Shaurya Chakra (vii) Sena, NauSena, VayuSena Medal (viii) Mention-in-Despatches.

Priority vi: Wards of Ex-servicemen

Priority vii: Wives of:

i. defence personnel disabled in action and boarded out from service.

ii. defence personnel disabled in service and boarded out with disability attributable to military service.

iii. ex-Servicemen and serving personnel who are in receipt of Gallantry Awards.

Priority viii: Wards of Serving Personnel.

Priority ix: Wives of Serving Personnel

इस आरक्षण के तहत प्रति अध्ययन केन्द्र प्रति विषय एक अतिरिक्त सीट मानकर प्रवेश दिया जाएगा।

12. कश्मीरी विस्थापितों के बच्चो के लिए राज्य सरकार नियमानुसार आरक्षण का नियम होगा।

13. ट्रांसजेन्डर (third gender) के लिए सीधा प्रवेश होगा इसके लिए प्रति अध्ययन केन्द्र आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सीट मानकर प्रवेश दिया जाएगा।

14. **अभ्यर्थी द्वारा M.Sc.प्रवेश आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरना चाहिए ।** अभ्यर्थी द्वारा भरे हुए प्रवेश आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा किये जाने वाले निर्धारित अवधि बाद संशोधन के दावे को विश्वविद्यालय को अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है।

15. अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि भरे हुए M.Sc. प्रवेश आवेदन पत्र हार्ड कापी व ऑनलाइन शुल्क जमा रसीद/ प्रिंट अपने पास रखे।

16. **विद्यार्थी अध्ययन केन्द्र के लिए स्वयं द्वारा चाही गई choice (चयन प्राथमिकता) ध्यान पूर्वक भरे।इसे बाद में बदला नहीं जा सकता है।** प्रथम **choice** (चयन प्राथमिकता) अध्ययन केन्द्र का तात्पर्य है कि विद्यार्थी उस केन्द्र पर प्रवेश लेने की सबसे अधिक इच्छा रखता है।

17. Upward movement का तात्पर्य है कि विद्यार्थी द्वारा कम चाही गई choice से अधिक चाही गई choice की तरफ सीट (अध्ययन केन्द्र) आवंटन किया जा सकता है यदि अधिक चाही गई की choice सीट खाली होगी।

18. आधार नंबर Aadhar No. or any other govt. recognized ID.Raj eVault, NAD (National Academic Depository) एवं अन्य सरकारी सुविधाओ का लाभ प्राप्त करने के लिए आधारनंबर अनिवार्यत: प्रदान करें जिनका आधार कार्ड बना हुआ है वे अपना आधार नंबर लिखे।आधार कार्डनहीं होने पर छात्र निम्नलिखित आईडी का नंबर लिखे 1. Pan card 2. Driving license 3. BhamashahCard 4. Voter ID

19. अध्ययन केंद्रों के विकल्प प्रवेश फॉर्म में उपलब्ध होते हैं, फॉर्म भरते समय अपनी प्राथमिकताओं को ध्यानपूर्वक भरें।